राजा मानसिंह तोमर
संगीत एवं कला विश्वविद्यालय
ग्वालियर, मध्यप्रदेश

Raja Mansingh Tomar
Music and Arts University
Gwalior, Madhya Pradesh

क. 1254/सम्बद्धता/रा.मा.तो.वि.वि./2024 दिनांक 07/10/2024

//सूचना//

राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) से आगामी सत्र 2025–26 में नवीन सम्बद्धता प्राप्त करने के इच्छुक अशासकीय महाविद्यालय तथा नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने/पाठ्यक्रमों के उन्नयन हेतु विश्वविद्यालय से पूर्व सम्बद्ध इच्छुक महाविद्यालय संस्कृति विभाग म.प्र. शासन द्वारा जारी नवीन दिशा निर्देशानुसार अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने संबंधी कार्यवाही निर्धारित अवधि में सुनिश्चित करें।

उक्त जारी नवीन दिशा निर्देश विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.rmtmusicandartsuniversity.com पर अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं।

(मा. कुलपति जी द्वारा अनुमोदित)

संबद्धता प्रभारी

कुलसचिव 07/10/24

क्र 1255 संबद्धता/रामातोविवि/ग्वा/2024 दिनांक 07/10/2024

प्रतिलिपि :

1. माननीय कुलपति जी की ओर सूचनार्थ।
2. श्रीमान संचालक, संस्कृति संचालनालय, म.प्र. शासन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड प्रति।
4. संबंधित नस्ती प्रति।

संबद्धताप्रभारी

कुलसचिव 07/10/24

स्वरांग परिसर', नीडम रोड, नाका चंद्रबदनी चौराहा, ग्वालियर (म०प्र०) पिन–474002
E-mail affiliation.rmtmusic@gmail.com

मध्यप्रदेश शासन

संस्कृति विभाग

नवीन अशासकीय संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय प्रारंभ करने/पाठ्यक्रमों (उपाधि) के उन्नयन/ नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत

(Guidelines regarding opening of New Non Govt. Music and Fine Arts Colleges/New Faculties/ Upgradation of Courses)

मध्यप्रदेश शासन
संस्कृति विभाग

नवीन अशासकीय संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय प्रारंभ करने/पाठ्यक्रमों (उपाधि) के उन्नयन/नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत

अनुक्रमणिका

स. क्र.	विषय	पृ. क्र.
1	भूमिका	1
2	आवश्यक शर्तें	2–5
3.	आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया एवं निर्धारित अंतिम तिथियाँ	5
4.	आवेदन अस्वीकृत किये जाने पर पुनर्विलोकन (रिव्यू) व्यवस्था	5
5.	शुल्क विवरण	6–7
6.	संकाय/पाठ्यक्रम के लिए अनुमति	8–9
7.	शैक्षणिक/अशैक्षणिक अमले की नियुक्ति	9
8.	अन्य उत्तरवर्ती प्रक्रिया/दिशा–निर्देश	9–11
9.	नवीन संगीत/ललित कला महाविद्यालयों हेतु आवश्यक दस्तावेज **(परिशिष्ट–1)**	12–13
10.	विद्यमान संगीत/ललित कला महाविद्यालयों में नवीन/उन्नयन पाठ्यक्रम हेतु आवश्यक दस्तावेज **(परिशिष्ट–2)**	14–15
11.	शपथ पत्र का प्रारूप **(परिशिष्ट–3)**	16
12.	शपथ पत्र का प्रारूप **(परिशिष्ट–4)**	17
13.	नवीन महाविद्यालय तथा पाठ्यक्रम शुल्क बैंक में जमा करने का चालान हेड (शीर्ष)	18

भूमिका

मध्यप्रदेश में संगीत एवं ललित कला के विभिन्न कला रूपों की शिक्षण व्यवस्था के संचालन तथा नियमन हेतु राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत ग्वालियर में राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है।

उक्त अधिनियम के अंतर्गत जारी विधान (Statute) क्रमांक 11 में यह प्रावधानित है कि ऐसे शासकीय एवं अशासकीय शिक्षण संस्थान, जो विश्वविद्यालय के अंतर्गत संगीत तथा ललित कला के क्षेत्र में उपाधि या उपाधि–पत्र प्रदान करने हेतु शिक्षण व्यवस्था में संलग्न होंगे, के द्वारा विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्धता प्राप्त करनी होगी।

उक्त प्रावधानों का उद्देश्य है कि प्रदेश में संगीत एवं ललित कला की विभिन्न स्तर शिक्षण सुनिश्चित करते हुये समुचित अधोसंरचना, पर्याप्त स्टाफ के साथ उत्तम श्रेणी की शिक्षा प्रदान करने हेतु सक्षम अशासकीय संस्थाएं/महाविद्यालय खोले जावें।

अतः उक्त व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु नवीन अशासकीय संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय/संस्थाओं की स्थापना/निरंतरता तथा पाठ्यक्रमों के उन्नयन हेतु आवश्यक मापदण्ड/मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किये जाते हैं। इन मापदण्डों एवं शर्तों की पूर्ति होने पर शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, निरंतरता तथा पाठ्यक्रमों के उन्नयन हेतु **आयुक्त**/संचालक, संस्कृति संचालनालय द्वारा अनुमति/अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा एवं तत्पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विस्तृत निरीक्षण पश्चात नियमानुसार सम्बद्धता प्रदान की जा सकेगी।

<u>अधिकार</u> – इन मापदण्डों/मार्गदर्शी सिद्धांतों में समय–समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन/परिवर्धन की कार्यवाही हेतु आयुक्त/संचालक, संस्कृति संचालनालय को अधिकृत किया जाता है। इस हेतु शासन स्वीकृति प्राप्त की जाय।

Bhat

2. आवश्यक शर्तें

नवीन संगीत एवं ललित कला अशासकीय महाविद्यालय की स्थापना/नवीन पाठयक्रम प्रारंभ करने/पाठ्यक्रम उन्नयन हेतु संचालक, संस्कृति संचालनालय द्वारा अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में निम्नानुसार आवश्यक शर्तें निर्धारित की जाती हैं :–

(1) निर्धारित प्रक्रिया के तहत निश्चित की गई समय–सीमा में पूर्ण शुल्क एवं आवेदनकर्ता समिति की मोहर सहित स्वप्रमाणित समस्त आवश्यक अभिलेखों के साथ आवेदन प्रस्तुत किया गया हो,

(2) नियमानुसार एवं इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में वर्णित समस्त मापदण्डों की पूर्ति की गई हो,

2.1 नवीन संगीत एवं ललित कला अशासकीय महाविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु निम्न प्रावधानों का अनुपालन अनिवार्य होगा :–

2.1.1 पंजीकरण :

(1) नवीन अशासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने वाली समिति, फर्म्स एंड सोसायटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रार, फर्म्स एण्ड सोसायटी, म.प्र. द्वारा रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित फोटोकापी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(2) चेरिटेबल ट्रस्ट जो कि पब्लिक ट्रस्ट एक्ट द्वारा पंजीकृत हो, को कॉलेज संचालित करने की पात्रता होगी। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित कॉपी आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगी।

(3) रजिस्टर्ड सोसायटी/ट्रस्ट के पदाधिकारियों/सदस्यों के हस्ताक्षर की अभिप्रमाणित सूची भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगी।

टीप : यदि पंजीकृत समिति के सदस्य/कार्यकारिणी बदलती है तो उक्त परिवर्तित कार्यकारिणी की सूची रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्था से प्रमाणित यथा समय कार्यालय को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। तदुपरांत प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही पूर्ण कराना आवश्यक होगा।

2.1.2 अशासकीय महाविद्यालयों के लिये भवन–भूमि का स्वामित्व :

भवन/भूमि की उपलब्धता एवं स्वामित्व के संबंध में निम्न मापदण्डों (अ), (ब) तथा (स) में से किसी एक का पालन किया जाना आवश्यक होगा :

के भवन में महाविद्यालय संचालित करने हेतु

समिति के पास महाविद्यालय के लिये स्वयं का भवन (समिति के नाम) होना आवश्यक है। समिति के अध्यक्ष/सचिव/सदस्य के व्यक्तिगत नाम पर धारित संपत्ति समिति के लिये मान्य नहीं होगी। समिति के नाम से अचल सम्पत्ति के रजिस्टर्ड दान पत्र/विक्रय पत्र की रजिस्ट्री की छायाप्रति एवं राजस्व अभिलेखों खसरा पांच साला/किश्तबंदी खतौनी/फार्म बी–1–द की प्रति, अचल सम्पत्ति का पूर्ण विवरण, खसरा, भूमि के डायवर्सन में शैक्षणिक प्रयोजन, भवन निर्माण की अनुमति, भवन का शासकीय निकाय से अनुमोदित नक्शा आदि एवं दान में प्राप्त अचल संपत्ति का रजिस्टर्ड दानपत्र एवं राजस्व अभिलेखों में संबंधित अचल संपत्ति की समिति के नाम पर नामांतरण संबंधी अभिलेखों की प्रमाणिक छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

समिति द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में महाविद्यालय संचालित करने के लिये भवन निर्माण हेतु संबंधित ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव सहित भवन निर्माण की अनुमति एवं इसी प्रकार भवन पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ब) 30 वर्षीय लीज के भवन में महाविद्यालय संचालित करने हेतु

समिति के नाम से 30 वर्षीय रजिस्टर्ड लीजडीड में शैक्षणिक डायवर्सन का प्रयोजन, भवन निर्माण की अनुमति, भवन पूर्णतया प्रमाण पत्र का क्रमांक व दिनांक तथा भवन का निर्मित क्षेत्रफल आदि का उल्लेख होना अथवा तत्संबंधी दस्तावेजों की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(स) तीन वर्षीय रजिस्टर्ड किरायानामा में महाविद्यालय संचालित करने हेतु

(1) किराये का भवन होने पर उसे अधिकतम तीन वर्ष हेतु मान्य किया जावेगा तथा इस सम्पूर्ण अवधि का समिति के नाम का रजिस्टर्ड किरायानामा प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर अथवा नोटरी द्वारा सत्यापित किया गया किरायानामा मान्य नहीं होगा)।

(2) उक्त किरायानामे की अवधि पूर्ण होने के पश्चात उसे पुनः न्यूनतम 3 वर्षों के लिए नवीकृत कराया जाकर, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2.1.3 समिति के महाविद्यालय भवन हेतु मापदण्ड :

(1) नवीन महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने या नवीन परिसर में विद्यमान महाविद्यालय स्थानांतरित किए जाने हेतु महाविद्यालय परिसर के संबंध में समान मानदण्ड होंगे। महाविद्यालय परिसर का क्षेत्रफल कम से कम 1500 वर्गफिट होना अनिवार्य होगा। (दस्तावेजों में निर्मित क्षेत्रफल का उल्लेख होना आवश्यक है।)

(2) भवन का पूर्ण विवरण स्थानीय निकाय द्वारा अनुमोदित नक्शे के साथ समिति/ट्रस्ट के स्वामित्व में होने संबंधी प्रमाणिक अभिलेख प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। उपरोक्त निर्मित भवन एवं परिसर में निम्नानुसार संरचना अनिवार्य है :–

1. प्राचार्य कक्ष
2. कार्यालय कक्ष
3. स्टॉफ कक्ष
4. ग्रंथालय कक्ष
5. छात्राओं के लिये कक्ष (यू.जी. एवं पी.जी. के लिए)
6. प्रत्येक संकाय/पाठ्यक्रम में जितने विषय पढ़ाये जाने हो, प्रत्येक विषय *25 विद्यार्थी के मान से न्यूनतम 180 वर्गफिट से 300 वर्गफिट आकार अध्यापन कक्ष।*
7. प्रत्येक संकाय में जितने विषय पढ़ाये जाने हों, 25 विद्यार्थी प्रति कक्षा के मान से
8. महाविद्यालय तक छात्र–छात्राओं के आवागमन एवं वाहन पार्किंग की पर्याप्त सुविधा होना आवश्यक है।
9. छात्र/छात्राओं हेतु पृथक–पृथक प्रसाधन सुविधा।

(3) समिति/ट्रस्ट यदि ग्रामीण क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय प्रांरभ करती है तो ग्रामीण क्षेत्र संबंधी पंचायत के सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र एवं समिति/अध्यक्ष/सचिव का नोटरी द्वारा शपथ पत्र तहसीलदार/नायब तहसीलदार से अभिप्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(4) सभी दस्तावेज अध्यक्ष/सचिव/महाविद्यालय के नाम से न होते हुए समिति के नाम होना चाहिये तथा व्यावसायिक पाठ्यकमों के लिये भारत सरकार/राज्य सरकार के निर्धारित परिषदों के द्वारा स्थापित मापदण्डों के पूर्णतया अनुकूल होना चाहिये। आकस्मिक निरीक्षण में इन अर्हताओं की पूर्ति न होने पर कॉलेज की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र/संबद्धता समाप्त करने का अधिकार राज्य सरकार/विश्वविद्यालय को होगा।

(5) पर्याप्त फर्नीचर, संगीत सम्बन्धी उपकरण, मशीन, वाद्ययंत्र व अन्य आवश्यक सामग्री, पाठ्यकम अनुसार प्रयोगशाला सामग्री एवं उपकरण प्रत्येक संकाय/विषयों में पर्याप्त संख्या में पुस्तकें, कम्प्यूटर, टेलीफोन सुविधा, पेयजल, टॉयलेट सुविधा एवं खेल–सामग्री आदि भी उपलब्ध होनी चाहिये। कॉलेज परिसर स्वच्छ हो व इसके आसपास कोई भी नशीले पदार्थो का विकय केन्द्र या असामाजिक तत्व नहीं होने चाहिये। इस विषय में मापदण्डों का पालन सुनिश्चित हो। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय संस्थाओं द्वारा स्थापित किये गये मापदण्डों का पूर्ण परिपालन करना भी अनिवार्य होगा। संस्कृति विभाग आवश्यक होने पर उपरोक्त संसाधनों के भौतिक सत्यापन हेतु निरीक्षण समिति गठित करेगा एवं नियमानुसार प्रकरण पर विचार किया जा सकेगा।

(6) यदि महाविद्यालय छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराना चाहता है तो छात्रावास में छात्रों के लिए 10X12 फुट (120 वर्गफिट) प्रति विद्यार्थी के मान से स्थान, 6 विद्यार्थी के मान से टायलेट एवं स्नानागार रखना अनिवार्य होगा।

(7) छात्रावास में रहने वाले छात्रों का पंजीकरण नजदीक के पुलिस थाने में कराया जाना होगा। उपरोक्त पात्रताओं की पूर्ति न करने पर छात्रावास को राज्य शासन/पुलिस विभाग द्वारा खाली कराया जा सकता है।

Bhus

क ही समिति द्वारा विभिन्न स्थानों पर प्रारंभ करने वाले महाविद्यालयों के लिये नवीन द्यालय हेतु निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति करना होगी।

) अचल सम्पत्ति की लीज की अवधि समाप्त होने पर नवीनीकरण कराकर प्रस्तुत करना समिति की जवाबदेही होगी अन्यथा सम्पत्ति समिति के नाम मान्य नही होगी एवं अर्हता पूर्ण न होने के कारण समिति की अनुमति समाप्त कर दी जायेगी।

(10) समिति को अचल सम्पत्ति समिति के नाम से क्रय–विक्रय करने के संबंध में मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 21 के तहत रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश की स्वीकृति की प्रति उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

3. आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया एवं निर्धारित अंतिम तिथियाँ

3.1 आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी प्रक्रिया

नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम प्रांरभ करने के पूर्व विधिक आवश्यकता के तहत आयुक्त/संचालक, संस्कृति से अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के संबंध में समस्त आवेदन निर्धारित प्रक्रिया एवं तिथि के अन्दर (परिशिष्ट–1/परिशिष्ट–2 में उल्लेखित सत्यापित/हस्ताक्षरित दस्तावेजों सहित) प्रस्तुत किये जाना होंगे। पृथक प्रक्रिया से या तिथि के अवसान के उपरांत प्राप्त आवेदन विचार योग्य नहीं होंगे। आवेदन संबंधित समिति द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा तथा समिति को ही समस्त क्रियाविधि के लिये आवेदक के रूप में जाना जाएगा।

3.2 आवेदन प्रक्रिया हेतु निर्धारित तिथियाँ

(1)	नवीन महाविद्यालय हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि	30 नवम्बर
(2)	निर्धारित तिथि के पश्चात आवेदन प्रस्तुत करने (विलम्ब शुल्क रू. 10,000/– सहित) करने की अंतिम तिथि	31 दिसम्बर

4. आवेदन अस्वीकृत किये जाने पर पुनर्विलोकन (रिव्यू) व्यवस्था

निर्धारित मानदण्डों के अनुसार आवेदन न पाये जाने पर अस्वीकृत किये जाएंगे तथा रिव्यू व्यवस्था के तहत समिति द्वारा कमियों की पूर्ति करते हुए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर समाधान उपरान्त संचालक, संस्कृति द्वारा अनापत्ति प्रमण पत्र जारी किया जा सकेगा।

नवीन महाविद्यालय/पाठ्यक्रम के लिए रिव्यू प्रकिया हेतु निर्धारित तिथियाँ निम्नानुसार रहेंगी :–

(1)	रिव्यू हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	10 मार्च
(2)	रिव्यू में प्राप्त आवेदन पर विचार कर, मान्य/अमान्य करने की अंतिम तिथि।	25 मार्च

Bhu

5. शुल्क विवरण

5.1 नवीन महाविद्यालय खोलने हेतु :-

(1) सर्टिफिकेट/डिप्लोमा स्तर के शिक्षण की अनुमति के साथ रू.30,000/-

(2) स्नातक (अकादमिक) स्तर के शिक्षण अनुमति के साथ रू.50,000/-

(3) स्नातकोत्तर (अकादमिक) स्तर तक के शिक्षण अनुमति के साथ रू.75,000/-

(4) व्यवसायिक स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अनुमति के साथ रू.1,00,000/
(राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला वि.वि., ग्वालियर द्वारा मान्य एवं संचालित पाठ्यक्रमों के अनुसार)

5.2 नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने/उन्नयन हेतु :-

(1) सर्टिफिकेट/ डिप्लोमा पाठ्यक्रम रू. 10,000/-

(2) स्नातक पाठ्यक्रम रू. 20,000/-

(3) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम रू. 30,000/-

(4) व्यवसायिक स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम रू. 50,000/-
(राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला वि.वि., ग्वालियर द्वारा संचालित)

5.4 प्रथमबार में सर्टिफिकेट/डिप्लोमा तथा स्नातक पाठ्यक्रम की अनुमति ही दी जावेगी।

5.5 शुल्क संबंधी अन्य नियम :-

(1) नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रकरण पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

(2) प्रत्येक तीन वर्ष पश्चात् समस्त शुल्कों में आवश्यकतानुसार 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जावेगी।

(3) सभी प्रकार के शुल्क कोषालय में चालान द्वारा निर्धारित तिथि के पूर्व जमा किये जाएंगे। चालान की एक मूल प्रति तथा 02 सत्यापित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। चालान में पूर्ण विवरण जैसे शीर्ष का नाम, समिति का नाम, आवेदित पाठ्यक्रम/विषय का नाम, बैंक का नाम, तिथि एवं सत्र का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।

चालान हेड निम्नानुसार होगा :-
0202 शिक्षा/खेल/कला एवं संस्कृति
01 सामान्य शिक्षा
103 विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा/अन्य शुल्क/सम्बद्धता शुल्क

समिति को एक बार दी गई अनुमति/अनापत्ति प्रमाण–पत्र के पश्चात कोई यदि जानकारी असत्य या गलत पाई जाती है तो तत्काल अनुमति निरस्त की जाएगी। ऐसी स्थिति में समिति के द्वारा जमा की गई राशि राजसात की जाएगी।

5.6 शुल्क वापसी :–

(1) यदि समिति आवेदन करने के पश्चात तथा निरीक्षण आदि आगामी प्रक्रिया के पूर्व स्वयं अपना आवेदन वापस लेती है तो समस्त जमा शुल्क का 10 प्रतिशत एवं यदि निरीक्षण प्रक्रिया के पश्चात मानदण्डों की पूर्ति पूर्ण या आंशिक रूप से नहीं करने पर प्रशासकीय कारण मानते हुए आवेदन अस्वीकृत होता है तो शुल्क का 25 प्रतिशत राशि काट कर शेष राशि नियमानुसार वापस की जावेगी। इसके लिये समिति को आवेदन अमान्य किए जाने की तिथि से 02 माह के अंदर शुल्क वापसी का आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(2) शुल्क वापसी के आवेदन के साथ 50/– रूपये का शपथ पत्र (नोटरी से) एवं पंजीकृत समिति का ठहराव प्रस्ताव की मूल प्रति जिस पर पंजीकृत समिति के सभी सदस्यों के नाम एवं हस्ताक्षर हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी।

(3) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि समिति द्वारा गलत जानकारी अथवा जानबूझकर भ्रम पैदा करने वाले या असत्य अभिलेख प्रस्तुत करने के कारण आवेदन निरस्त होने पर कोई शुल्क वापस नहीं होगा। निर्धारित समयावधि के पश्चात शुल्क वापसी का आवेदन विचार योग्य नहीं होगा तथा राशि राजसात ही मानी जावेगी।

(4) समिति को संचालक, संस्कृति के कार्यालय द्वारा नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने की अनुमति देने के उपरांत यदि समिति आगामी सत्र में महाविद्यालय प्रारंभ नहीं करती है तो जमा किया गया शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा।

(5) समिति का पूर्व में कोई भी जमा शुल्क का समायोजन मान्य नहीं होगा। समिति द्वारा अधिक जमा राशि पूर्ण रूप से वापसी योग्य है। इसके लिये पृथक से विधिवत 06 माह में शुल्क वापसी के लिये निर्धारित पूर्तियों सहित आवेदन कार्यालय, संस्कृति संचालनालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(6) समिति द्वारा जमा किया गया विलंब शुल्क, दाण्डिक शुल्क एवं रिव्यु शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा।

Bhw

6. संकाय/पाठ्यक्रम के लिये अनुमति

6.1 विश्वविद्यालय के अनुमोदित अध्यादेश/विषय समूहों के आधार पर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) अशासकीय महाविद्यालयों हेतु मान्य हैं, की अनुमति कार्यालय, संचाल संस्कृति द्वारा प्रदान की जावेगी। इस हेतु विश्वविद्यालय में संचालित आवेदित समूहों व विवरणिका एवं अनुमोदित अध्यादेश/आदेश की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होग विश्वविद्यालय अध्यादेश में उल्लेखित अर्हता अनुसार ही पाठ्क्रम की मान्यता प्रदान व जायेगी।

6.2 समिति द्वारा आवेदन प्रस्तुत करते समय विश्वविद्यालय के कुलसचिव या उनके द्वार अधिकृत अधिकारी से सत्यापित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि आवेदित पाठ्यक्रम महाविद्यालय में संचालित करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित है।

6.3 नये प्रारंभ होने वाले महाविद्यालय को केवल सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/स्नातक स्तर के संकायों की मंजूरी की पात्रता होगी। विद्यमान महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों के तीन वर्ष (प्रथम, द्वितीय, तृतीय) पूर्ण होने के उपरान्त केवल उन्हीं विषयों/संकायों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की पात्रता बनेगी, जिन्हें तीन वर्ष तक महाविद्यालय में पढ़ाया गया हो।

6.4 समिति की दी गई अनुमति के पश्चात् यदि समिति एक से अधिक वर्षो तक द्वितीय एवं तृतीय तथा उत्तरार्द्ध (फायनल एयर) के पाठ्यक्रमों की संबद्वता प्राप्त नहीं करती है या महाविद्यालय में छात्रों का प्रवेश निरंक रहता है तो ऐसीस्थिति में समित को गत वर्षो का संबंधित विश्वविद्यालय से जीरों सत्र का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही अनुमति देने पर विचार किया जाना संभव होगा। यदि समिति विश्वविद्यालय का जीरो सत्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करती है तो समिति को राशि रूपये 20,000/- (रूपये बीस हजार) चालान द्वारा दांडिक शुल्क के रूप में आवेदित पाठ्यक्रमों की निरंतरता की अनुमति के लिये आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6.5 अनुमति उपरान्त समिति महाविद्यालय प्रारंभ नहीं करना चाहती है **या पूर्व से संचालित** महाविद्यालय को बंद करना चाहती है तो, कारणों का उल्लेख करते हुये **संचालक, संस्कृति** को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं औचित्य सहित समिति के निर्णय **(ठहराव प्रस्ताव) की** मूल प्रति संलग्न करनी होगी जिस पर पंजीकृत समिति के **फर्म्स एवं सोसाइटी से अनुमोदित** सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। इस संबंध में संस्था के **अध्यक्ष/सचिव की** ओर से नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि समिति/महाविद्यालय पर किसी कर्मचारी/समिति/छात्र अथवा शासन का कोई देय बकाया नहीं है। राज्य के दो प्रमुख समाचार पत्रों में महाविद्यालय बंद करने का औचित्य सहित विज्ञप्ति की मूल प्रति भी संलग्न करनी होगी। बिना अनुमति महाविद्यालय बंद करने पर समिति ब्लेक लिस्ट मानी जावेगी और इसकी समस्त वैधानिक जिम्मेदारी समिति की होगी।

Bhu

समिति को संचालित पाठ्यक्रम/संकाय बंद करने के संबंध में विश्वविद्यालय को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। विश्वविद्यालय द्वारा ही पाठ्यक्रम/संकाय आगामी सत्र से बंद करने की अनुमति दी जावेगी परन्तु बंद करने के पूर्व महाविद्यालय में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों की वैकल्पिक व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

6.7 संस्कृति संचालनालय द्वारा महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र का आशय यह नहीं माना जायेगा कि समिति को विश्वविद्यालय को संबंद्वता प्राप्त हो गयी है।

7. <u>शैक्षणिक/अशैक्षणिक अमले की नियुक्ति</u>

महाविद्यालय द्वारा संचालित किये जाने वाले/नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने/पाठ्यक्रमों के उन्नयन अनुसार अध्ययरत विद्यार्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुये, पर्याप्त संख्या में शैक्षणिक अमले की नियुक्ति की जावेगी।

7.1 महाविद्यालय में प्रशासन, प्रबंधन तथा शिक्षण की सुचारू व्यवस्था हेतु प्राचार्य की नियुक्त की जावेगी।

7.2 संगीत शिक्षण (गायन/वादन) हेतु योग्य/अनुभवी/अपेक्षित उपाधिधारक संगीत शिक्षकों के साथ ही शिक्षण हेतु उपयोग में आने वाले वाद्ययंत्रों अनुसार संगतकारों/संगीतकारों की नियुक्ति अपेक्षित होगी।

7.3 ललित कला की विभिन्न विधाओं के शिक्षण हेतु योग्य/अनुभवी/अपेक्षित उपाधिधारक शिक्षकों के साथ ही स्टूडियो सहायकों की नियुक्ति की जाना होगी।

7.4 विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रमें के लिए भी योग्य/अपेक्षित उपाधिधारक पर्याप्त शैक्षणिक अमला तथा शैक्षणिक कार्य के लिए आवश्यक उपकरणों/सॉफ्टवेयर्स तथा आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध कराई जाना अनिवार्य होगा।

7.5 अशैक्षणिक अमले के अंतर्गत ग्रंथपाल, लेखा/लिपिकीय अमले के साथ ही सफाई/सुरक्षाकर्मियों की नियुक्ति सुनिश्चित की जावेगी।

7.6 अमले के वेतन–भत्तें : महाविद्यालय के अमले के वेतन–भत्तें एवं अन्य भुगतान बैंक के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था की जाना होगी।

8. <u>अन्य उत्तरवर्ती प्रक्रिया/दिशा–निर्देश</u>

8.1 महाविद्यालय की समिति में परिवर्तन

(अ) समिति परिवर्तन के संबंध में यदि रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाओं द्वारा पूर्व के पंजीकृत सदस्यों के नामों में परिवर्तन करते हुए नवीन नामों का मनोनयन किया जाता है तो नवीन अनुमोदित सूची इस कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। तदनुसार संशोधित समिति ही महाविद्यालय संचालन हेतु मान्य होगी।

PhcM

(ब) समिति के नाम में यदि समिति रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटी से संशोधन के रूपये 50/– का शपथ पत्र का संशोधित समिति के नाम से समस्त चल अचल स[illegible] दस्तावेजों को प्रस्तुत करते हुए कार्यालय से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। समिति संचालित महाविद्यालय, किसी अन्य समिति को हस्तांतरण करने बाबत् रजिस्ट्रार फार्म्स [illegible] सोसायटी के नियम लागू होंगे।

8.2 इंडियन एवं नेशनल शब्द का उपयोग न करने बाबत्

भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक–डी.ओ.न.–23/24/2005–आई.टी. दिनांक 07.03.06 एवं मध्यप्रदेश शसान, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के [illegible] कमांक एफ 19/40/2006/1/4, दिनांक 10.04.2016 द्वारा अशासकीय संस्थाओं के नाम में इंडियन एवं नेशनल शब्द का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। अतः समिति/महाविद्यालय के नाम में इंडियन एवं नेशनल शब्द का प्रयोग नहीं किया जावे। इंडियन एवं नेशनल शब्द के नाम के आवेदन मान्य योग्य नहीं होंगे। इसके लिये समिति स्वयं जिम्मेदार होगी।

किसी भी जाति विशेष के नाम पर महाविद्यालय का नाम नहीं रखा जा सकेगा। इस बारे में संचालक, संस्कृति का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

8.3 महाविद्यालयों के बोर्ड पर अंकित अनावश्यक/भ्रमित जानकारी न देने बाबत्

महाविद्यालय के बिल्डिंग पर लगाये बोर्ड पर केन्द्रीय परिषद/राज्य परिषद/विश्वविद्यालय की मान्यता का उल्लेख के अलावा अन्य भ्रमित एवं अनियमित अनुशंसायें/अग्रेषण लिखना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।

8.4 राज्य शासन के आदेश क्रमांक 1–4/2013/ई.स्था–38/रासेयो दिनांक 30.03.2013 के तारतम्य में अशासकीय महाविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना की स्व–पोषित इकाई खोलना/प्रारंभ किया जाना आवश्यक है।

8.5 प्रभावशीलता

(1) यह मार्गदर्शी सिद्धांत जारी होने की दिनांक से प्रभावशील होंगे।

(2) इन दिशा–निर्देशों में यथा आवश्यकतानुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार संस्कृति विभाग, म.प्र. शासन का होगा।

8.6 इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को प्रभावशील होने के पश्चात्, इन प्रावधानों के अंतर्गत अनुमति/अनापत्ति प्राप्त महाविद्यालय ही, विश्वविद्यालय से ही संबद्धता प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

अन्य दिशा–निर्देश

समिति यदि मूल ठहराव प्रस्ताव नहीं करती है तो उसे ठहराव प्रस्ताव की छायाप्रति राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(2) महाविद्यालयों को एक बार अनुमति/अनुशंसा पत्र मिलने के पश्चात केवल उन्हीं प्रकरणों में दुबारा आवेदन करना होगा जहां वे उत्तरवर्ती कक्षाओं अथवा नवीन विषयों में कक्षाएँ प्रारंभ करना चाहते हैं अन्यथा एक बार दी गई अनुमति अनुशंसा पत्र महाविद्यालय के संचालन अवधि तक मान्य रहेगी।

(3) संस्कृति, संचालक/आयुक्त का अनुशंसा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् समिति को अनुमति/संबंद्वता हेतु नियमानुसार विश्वविद्यालय को आवेदन करना होगा। विश्वविद्यालय से संबंद्वता प्राप्त होने पर ही समिति द्वारा विद्यार्थियों को प्रदेश दिये जाने की पात्रता होगी। विद्यार्थियों को प्रवेश राज्य शासन द्वारा जारी अकादमियों कैलेण्डर तारीख तक ही दिये जा सकेंगे।

(4) समय समय पर कॉलेज का निरीक्षण करने का अधिकार राज्य शासन/संस्कृति संचालनालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों को होगा। किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाने पर या अनुमति की शर्तो का पालन न करने पर दी गई अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।

(5) यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि पूरी अनुमतियां प्राप्त करने के पूर्व यदि कोई समिति प्रवेश देती है तो उसकी मान्यता निरस्त करने हेतु फर्म एण्ड सोसायटी को अनुशंसा की जा सकेगी।

(6) समस्त अशासकीय महाविद्यालय अपनी स्वयं की वेबसाइट निर्मित करेंगे तथा समय–समय पर उसे अद्यतन भी रखेंगे।

(7) इसके अतिरिक्त, पूर्तियां न पाये जाने पर अथवा गलत/असत्य हलफनामा दिये जाने के परिणाम स्वरूप समिति/संस्था के समस्त सदस्यों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया जा सकेगा।

— — 0 — —

नवीन संगीत/ललित कला महाविद्यालयों हेतु आवश्यक दस्तावेज

चेकलिस्ट

क्र.	प्रयोजन (महाविद्यालय)	विवरण	संलग्न है/संलग्न नहीं/ लागू नहीं
1.	नवीन	समिति द्वारा नवीन महाविद्यालय/आवेदित पाठ्यक्रम शुल्क के चालानों की मूल प्रति जिस पर आवेदित पाठ्यक्रम एवं संस्कृति का कोषालय शीर्ष अंकित हो प्रस्तुत करें। (मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य है)	
2.	नवीन	रूपये 100/– का शपथ–पत्र (मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य है) (परिशिष्ट–3)	
3.	नवीन	समिति का रजिस्ट्रार, फर्म एवं संस्था द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें।	
4.	नवीन	रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाऐं से अनुमोदित समिति के पदाधिकारियों/सदस्यों की हस्ताक्षर सहित सूची तथा समिति के बायलॉज एवं धारा–27 की प्रति।	
5.	नवीन	समिति/ट्रस्ट पंजीयन की राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित प्रति	
6.	नवीन	स्वयं का भवन होने पर अचल सम्पत्ति के दान पत्र/विक्रय पत्र की रजिस्ट्री की छायाप्रति एवं राजस्व अभिलेखों खसरा पांच साला/किश्तबंदी खतौनी/फार्म बी–1–द की प्रति। अचल सम्पत्ति का पूर्ण विवरण खसरा, डायवर्सन, भवन निर्माण की अनुमति भवन पूर्णतया प्रमाण पत्र, भवन का निर्मित क्षेत्रफल के दस्तावेज एवं धारा–21 की अनुमति, भवन का शासकीय निकाय से अनुमोदित नक्शा आदि	

Bhv

[illegible]	नवीन	30 वर्षीय रजिस्टर्ड लीजडीड होने पर भवन के शैक्षणिक डायवर्सन का प्रयोजन, भवन निर्माण की अनुमति, भवन पूर्णतया प्रमाण पत्र का क्रमांक व दिनांक तथा भवन का निर्मित क्षेत्रफल, आदि का रजिस्टर्ड लीजडीड में उल्लेख होना अथवा तत्संबंधी दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रतियाँ।	
8	नवीन	किराये के भवन होने की स्थिति में महाविद्यालय संचालन के लिए आवश्यक स्थान/कक्ष आदि की संख्या/क्षेत्रफल का उल्लेख/नक्शा डिमार्केशन दर्शाया/संलग्न किया जाकर, न्यूनतम तीन वर्ष के लिए यथाविधि निष्पादित किरायानामे की सत्यापित प्रति।	
9	नवीन	आवेदित पाठ्यक्रम की विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित आर्डिनेंस/विषय समूह की प्रति।	
10	नवीन	समिति के गत तीन वर्ष के चार्टर्ड अकान्टेंटस् द्वारा अंकेक्षित आय–व्यय पत्रक/बैलेन्स शीट/अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति।	

[illegible] संगीत/ललित कला महाविद्यालयों में नवीन/उन्नयन पाठ्यक्रम हेतु आवश्यक दस्तावेज

चेकलिस्ट

[illegible]	प्रयोजन (पाठ्यक्रम)	विवरण	संलग्न है/संलग्न नहीं/लागू नहीं
1.	नवीन/उन्नयन	आवेदित पाठ्यक्रमों निर्धारित शुल्क (मूल चालान प्रस्तुत करना अनिवार्य है)	
2.	नवीन /उन्नयन	100/– रूपये का शपथ–पत्र (मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य है) परिशिष्ट–3	
3.	नवीन/उन्नयन	विगत वर्षो में यदि सशर्त अनुमति दी गई हो तो उनकी पूर्ति संबंधी दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा।	
4.	उन्नयन	विश्वविद्यालय की गत सत्र की संबंद्धता की प्रति।	
5.	उन्नयन	गत वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट।	
6.	उन्नयन	महाविद्यालय के गत सत्र का परीक्षा परिणाम एवं प्रवेशित छात्रों की सूची/संख्या।	
7.	उन्नयन	पूर्व पाठ्यक्रम की अनुमति की छायाप्रति।	
8.	नवीन / उन्नयन	महाविद्यालय संचालित होने के दिनांक से वर्तमान सत्र तक संचालित पाठ्यक्रमों की सूची।	
9.	नवीन/उन्नयन	महाविद्यालयों के समस्त स्टाफ के वेतन भत्ते एवं अन्य भुगतान बैंक के माध्यम से किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र।	
10	नवीन/उन्नयन	स्वयं के/किराये के महाविद्यालय भवन में आवश्यकतानुरूप क्षेत्रफल में वृद्धि संबंधी दस्तावेजों की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।	
11	उन्नयन	छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क का विवरण।	
12	नवीन/उन्नयन	महाविद्यालयों में आवेदित संचालित किये जाने वाले पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य किसी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम संचालन न करने संबंधी घोषणा पत्र।	

Bhm

	[न]वीन / उन्नयन	रजिस्टर्ड सोसायटी / ट्रस्ट के पदाधिकारियों / सदस्यों के हस्ताक्षर की अभिप्रमाणित अद्यतन सूची भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगी।	
14	नवीन / उन्नयन	समिति परिवर्तन के संबंध में यदि रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाओं द्वारा पूर्व से पंजीकृत सदस्यों के नामों में परिवर्तन करती है या नवीन नामों का मनोनयन किया जाता है तो नवीन अनुमोदित सूची एवं धारा–27 की प्रति।	
15	नवीन / उन्नयन	आवेदित पाठ्यक्रम की विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अध्यादेश / विषय समूह की प्रति	
16	नवीन / उन्नयन	आवेदित पाठ्यक्रम महाविद्यालय में संचालित करने हेतु विश्वविद्यालय से अनुमोदित होने संबंधी कुलसचिव या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र।	

हस्ताक्षर समिति अध्यक्ष / सचिव

पि

शपथ–पत्र का प्रारूप

(100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर)

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि आवेदन पत्र में प्रस्तुत की गई जानकारी सही है और वर्तमान में समिति की आर्थिक स्थिति मजबूत है। समस्त वांछित प्रमाण पत्र एवं अभिलेख वास्तविक एवं सत्य संलग्न प्रस्तुत किये गये हैं तथा मैंने स्वयं इसकी जाँच कर ली है। जानकारी असत्य पाये जाने पर पूर्ण जिम्मेदारी समिति की होगी।

सचिव के हस्ताक्षर नाम, पदमुद्रा तारीख :
तथा पूर्ण पता

अध्यक्ष के हस्ताक्षर नाम, पदमुद्रा
तथा पूर्ण पता

Bhus

शुल्क वापसी हेतु शपथ–पत्र का प्रारूप

(50 रूपये के स्टाम्प पेपर पर)

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि आवेदन पत्र के साथ आवेदित नवीन महाविद्यालय/पाठ्यक्रम हेतु राशि रूपये .... कार्यालय आयुक्त, संस्कृति के लेखा शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा कराई गई थी, जिसकी मूल प्रति आवेदन के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है। आवेदन अमान्य किये जाने/मेरे द्वारा वापस लिये जाने से शुल्क वापसी प्रार्थित है। समस्त वांछित प्रमाण पत्र एवं अभिलेख वास्तविक एवं सत्य संलग्न प्रस्तुत किये गये हैं तथा मैंने स्वयं इसकी जॉच कर ली है। जानकारी असत्य पाये जाने पर पूर्ण जिम्मेदारी समिति की होगी।

....

....

सचिव के हस्ताक्षर नाम, पदमुद्रा तारीखः
तथा पूर्ण पता

....

....

अध्यक्ष के हस्ताक्षर नाम, पदमुद्रा
तथा पूर्ण पता

Bhu

नवीन महाविद्यालय तथा पाठ्यकम शुल्क बैंक में जमा करने का

चालान हेड (शीर्ष)

0202 — शिक्षा / खेल / कला एवं संस्कृति

01 — सामान्य शिक्षा

103 — विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा / अन्य शुल्क / संबद्वता शुल्क